



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / ७३८

दिनांक : १७/७/१७

प्रति,

प्राचार्य,
शा. विधि महाविद्यालय,
देवास।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 127, दिनांक 25.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास में सत्र 2017–18, से एल.एल.बी.–तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से एल.एल.बी.–तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कर्मियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एल.एल.बी.–तृतीय वर्ष	120

- शर्त :-** 01. नियमित शिक्षकों की पूर्ति हेतु शासन से मांग करना है।
 02. पुस्तकालय में पुस्तकों में व्यवस्थित(रिकार्ड) पृष्ठों पर नम्बर डाले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त कर्मियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसाचिव